



11 64  
19

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (1) दमोदर देवगम, (2) अशोक देवगम, पिता- स्व0 चकधर देवगम, ग्राम- सिंकुरसाई, थाना- मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तमाडबाँध, थाना नं0- 125, खाता नं0- 81, प्लॉट नं0- 902, रकवा- 0.10½ एकड़ भूमि, क्रेता पुष्पा देवगम, पिता- स्व0 गुरुचरण देवगम, ग्राम- कांकुसी, थाना- मुफसिल के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम पर नामांतरण मुकदमा सं0- 350/14-15 द्वारा नामांतरित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।


अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-270, दिनांक- 6.4.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि डॉक्टरी उपचार एवं धरेलु कार्य हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता पुष्पा देवगम, पिता- स्व0 गुरुचरण देवगम, ग्राम- कांकुसी, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास 2,00,000.00/- (दो लाख) रुपये में विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.30 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता (1) दमोदर देवगम, (2) अशोक देवगम, पिता- स्व0 चकधर देवगम, ग्राम- सिंकुरसाई, थाना- मुफसिल, क्रेता पुष्पा देवगम, पिता- स्व0 गुरुचरण देवगम, ग्राम- कांकुसी, थाना- मुफसिल चाईबासा के पास जमीन का 2,00,000.00/- (दो लाख) रुपये में मौजा- तमाडबाँध, थाना नं0- 125, खाता नं0- 81, प्लॉट नं0- 902, रकवा- 0.10½ एकड़ जमीन को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ..... स्वीकृति ..... दी जाती है।

लेखापित।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
सदर चाईबासा।